न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/38/2022	2022/94	04.02.2022	23.04.2024

1. श्रीमति राधादेवी पत्नि श्री कोठारी, जाति जाट
2. संतोष पुत्र कोठारी, जाति जाट, उम्र करीब, 18 साल, निवासीयान ग्राम ढाकपुरी, तहसील व जिला अलवर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नेमी पुत्र चन्दर, जाति जाट,
2. श्रीपाल पुत्र स्व मनोहरी पुत्र चन्दर, जाति जाट,
3. मुकेश पुत्र स्व मनोहरी पुत्र चन्दर, जाति जाट,
4. फूल सिह पुत्र स्व मनोहरी पुत्र चन्दर, जाति जाट, निवासीयान ग्राम ढाकपुरी, तहसील व जिला अलवर

असल रेस्पोडेन्टान

5. गणपत पुत्र सैया, जाति जाट मृतक

5/1 दुलारी पत्नी स्व0 गणपत, उम्र करीब 60 साल,
5/2 सरोज पुत्री स्व0 गणपत, उम्र करीब 35 साल,
5/3 कल्लो पुत्री स्व0 गणपत, उम्र करीब 33 साल,
5/4 शकुन्तला पुत्री स्व0 गणपत, उम्र करीब 31 साल,
5/5 हरबती पुत्री स्व0 गणपत, उम्र करीब 30 साल,
5/6 राजो पुत्री स्व0 गणपत, उम्र करीब 27 साल,
5/7 मनीषा पुत्री स्व0 गणपत, उम्र करीब 18 साल,
5/8 कमली पुत्री स्व0 गणपत, उम्र करीब 28 साल,
5/9 नरेन्द्र पुत्र स्व0 गणपत, उम्र करीब 24 साल,
5/10 देवेन्द्र पुत्र पुत्री गणपत, उम्र करीब 22 साल, जाति जाट, निवासीयान ग्राम ढाकपुरी, तहसील व जिला अलवर

6. गंगाराम पुत्र श्री हरसहाय, जाति जाट
7. हुकमचन्द पुत्र श्री हरसहाय, जाति जाट निवासीयान ग्राम ढाकपुरी, तहसील व जिला अलवर

तरतीवी/रैस्पॉडेन्टस

रेवेन्यु अपील प्रथम विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत ढाकपुरी, पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर दिनांक 05.11.2015 जिसके द्वारा अवैध व अनाधिकृत रूप से रेस्पोडेन्टान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 स्वीकार किया गया तथा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्टान की खातेदारी की आराजी में से आने जाने के लिये रास्ता कायम किया गया बमुराद मंसूख किये जाने आज्ञा अदालत मातेहत या अन्य मुनासिब अनुतोष।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उपस्थितः—

01. श्री राजीव भार्गव — वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री तेजसिंह — रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ल0 07

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम पंचायत ढाकपुरी, पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर के निर्ण्य दिनांक 05.11.2015 जिसके द्वारा अवैध व अनाधिकृत रूप से रेस्पोडेन्टान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर पेश की है, जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि असल रेस्पोडेन्टान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 तहसीलदार मालाखेडा महोदय के यहाँ इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम ढाकपुरी में रेस्पोडेन्टान की आराजी खसरा नम्बर 838 रकबा 14 एयर, 839 रकबा 78 एयर, 843 रकबा 52 एयर, 844 रकबा 23 एयर, भूमि है जिसमें उसने मकानात इत्यादि बना रखे है। उक्त आराजी में आने जाने के लिये अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 676 रकबा 40 एयर व खसरा नम्बर 677 रकबा 60 एयर जो अपीलान्ट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है में से आने जाने का रास्ता है तथा पश्चिम की मुख्य सडक जो जमालपुर से ढाकपुरी की ओर जा रही है उसमें उक्त रास्ता मिलता है। अन्य कोई मार्ग मौजूद नही है तथा यह रेस्पोडेन्टान की आराजीयात पर जाने के लिए एक मात्रा निकटतम व लघुतम रास्ता है जिस पर आने जाने से अप्रार्थीगण ज्यादा बाधा उत्पन्न कर रहे है यदि रास्ते पर अतिक्रमण किया गया तो प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा वह भूमि की बाबत प्रतिफल भी अदा करने को तैयार है इसलिये अपीलान्टान की आराजी खसरा नम्बर 676 व 677 के तरफ दक्षिण में तथा तरतीवी रेस्पोडेन्टान की आराजी खसरा नम्बर 850, 851, 852, 864 के तरफ पश्चिम में स्थित रास्ते जो 10 फुट चौडा है को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जावे। अपीलान्टान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का जवाब दिनांक 05.10.2015 को प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी नेमी चन्द वगैरा द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 676, 677 वाके ग्राम ढाकपुरी अपीलान्टान की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर वह अरसे दराज से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। आराजी में कोई रास्ता नही है परन्तु नेमी चन्द वगेरा मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम करना चाहते है। अपीलान्टा एक विधवा गरीब औरत है जिसके द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर के यहां दायर किया हुआ है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2015 के स्टे ऑर्डर भी विरूद्ध रेस्पोडेन्टान जारी किया हुआ है। मौके पर कोई वास्तव में रास्ता नहीं है जब प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा जिसमें प्राईमाफेसी केस अपीलान्टान का मानकर स्थगन आदेश जारी किया गया है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को कोई अग्रिम कार्यवाही किये जाने का क्षेत्राधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा राजनैतिक दवाब में कार्यवाही की गई तथा इकतरफा में फर्जी व बनावटी साक्ष्य एकत्रित की गई व दिनांक 05.11. 2015 को एकतरफा में बिना कोई सुनवाई किये हुये निर्णय पारित किया गया तथा अवैध व अनाधिकृत रूप से रास्ते से आना जाना कायम किया गया जिसके विरूद्व मौजूदा अपील आज बिना किसी देरी के प्रस्तुत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इकतरफा में दिनांक 05.11. 2015 को निर्णय पारित किया जिसकी अपीलान्टान को पूर्व में कोई जानकारी नही हुई निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्टान को कोई नोटिस भी प्रेषित नही किया गया तथा निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनांक 07.12.2015 को हुई जिस दिन न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के यहां विचाराधीन प्रकरण बअनुवान राधादेवी बनाम गणपतराम मे रेस्पोडेन्टान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

द्वारा उक्त निर्णय न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्टान द्वारा उक्त निर्णय के बारे में ग्राम पंचायत में जाकर जानकारी प्राप्त की गई व निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु आवेदन कर प्रतिलिपी प्राप्त की गई तथा अभिभाषक महोदय से संपर्क किया गया जिन्होने निर्णय ग्राम पंचायत के विरूद्ध अपील दायर करने की सलाह दी जिस पर पैसे वगैरा की व्यवस्था कर आज मौजूदा अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत है जो निर्णय ग्राम पंचायत जानकारी की तिथि दिनांक 07.12. 2015 से साधारणतया अन्दर मियाद प्रस्तुत है। विकल्प में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के तय शुदा सिद्धांतो के सर्वथा उल्लंघन में पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्टा जो एक गरीब व विधवा महिला है जिसे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। इस प्रकार न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतो के उल्लंघन में निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टा द्वारा अपने जवाब में यह स्पष्ट रूपसे दर्ज किया है कि पक्षकारो के मध्ये विवादित आराजी के बारे में नियमित वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर में लंबित है जिसमें पक्षकारान की तलबी भी हो चुकी है तथा न्यायालय द्वारा अपीलान्टान का प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाले नुकसान का बिन्दु मानकर विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कोई गौर नहीं किया गया व मनमाने तरीके से निर्णय पारित कर दिया गया जो एक विधिक त्रुटि है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ढाकपुरी द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जाये। रेस्पोडेन्टान द्वारा विवादित आराजी में से रास्ता प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 के राजस्थान अभिवृति संशोधन अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें अपीलान्टान की तामील हो चुकी है तथा प्रकरण वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 16.12.2015 नियत है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा गौर नही किया गया जब प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 ए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहाँ लंबित है ऐसी परिस्थिति में अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 कोई निर्णय पारित किया जाना विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्टान द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य अधिनस्थ न्यायालय से छुपाया है ऐसी परिस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह गौर नहीं किया गया कि रेस्पोडेन्टान की आराजीयात खसरा नम्बर 838, 839, 843 व 844 में आने जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजूद है उक्त रास्ता कदिमी रास्ता है परन्तु जान बूझकर अपीलान्टान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 676 व 677 में से नवीन रास्ता कायम किया गया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना में जारी किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह कतई फर्जी व विधि विरूद्ध तरीके से की गई है तथा कथित मौका पचा दिनांक 23.02. 2015 कतई गलत हैं। उक्त पर्चा मौका पर जो गवाह लिखमी के हस्ताक्षर दर्ज किये गये है वे गलत है। लिखमी पुत्र सरदार द्वारा इस बाबत एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया है जो अपील के साथ न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है इसके अतिरिक्त जो बयान रामकिशोर पुत्र झाझूराम जाति जाट के बयान दर्ज किये गये है वे भी फर्जी है रामकिशोर द्वारा दिनांक 05.10.2015 अथवा दिनांक 20.10.2015 को कोई बयान नहीं दिये गये है। मालाखेडा से आने वाला पक्का रास्ता जो डांमर रोड है से एक रास्ता जो खसरा नम्बर 833 व 835 तथा खसरा नम्बर 833, 836, 837 के बीच में से रेस्पोडेन्ट की आराजी 839 तक जाता है जो रेस्पोडेन्टान की खातेदारी का खेत है। वह रास्ता चालू रास्ता है वह रास्ता ग्राम की आबादी में से कुएँ के पास से निकलता है जो रास्ता अरसे दराज से चालू है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उस रास्ते का कोई जिक निर्णय पारित करते समय नहीं किया बल्कि जानबूझकर अपीलान्टान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 676 व 677 के दक्षिण में 10 फुट चौडा नवीन रास्ता

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

कायम कर दिय गया जो विधि के प्रावधानो के विपरीत जारी किया गया है इसके अतिरिक्त एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 837 के दक्षिण तथा खसरा नम्बर 856, 855, 854, के तरफ पश्चिम की डोल पर से रेस्पोडेन्टान के खेत खसरा नम्बर 852 तक जाता हैं। उक्त रास्ता भी चालू कदीमी रास्ता है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रास्ते का भी उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में नहीं किया इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर अपीलान्टान को तंग व परेशान करने की नियत से नवीन रास्ता कायम किया गया है। शेष उज्र वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अपील के साथ संलग्न है। अपील हाजा पर कोर्ट फीस 2/–रूपये चस्पा है। अपील श्रीमान के श्रवण योग्य है। अतः अपील अपीलान्टान प्रस्तुत करके निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 निरस्त फरमाया जावे या अन्य उचित अनुतोष प्रदान किया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलव किया गया।

अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाव मिन जानिव समस्त रेस्पोडेन्टान संख्या 01 ल0 07 की ओर से निम्न प्रकार पेश है कि प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के संक्षेप में तथ्य दर्ज किये गये है जो विल्कुल सही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाव गलत तथ्यों से प्रस्तुत किया गया है। अपीलांटान द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाव गलत तथ्यों से प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्टान की आराजी खसरा न0 676, 677 के तरफ दक्षिण में रास्ता पूर्व से ही कायम चला आ रहा है तथा मिन रेस्पोडेन्टान को कोई नया रास्ता कायम करवाना नहीं चाहते हैं। अपीलान्टान का यह दर्ज करना कतई गलत है कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है जबकि मौके पर रास्ता अरसे दराज से कायम है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होने के कारण ही उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई है। पैरा न0 में जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा राजनैतिक दवाब में कार्यवाही नही की गई है तथा ना ही इक तरफा में फर्जी व बनावटी साक्ष्य एकत्रित की गई है व ना ही इकतरफा में बिना कोई सुनवाई किये हुए निर्णय पारित किया गया है। जबकि सही तयि यह है कि अपीलान्टान को उक्त प्रकरण के संवंध में दिनांक 05.10.2015 को हाजिर होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्टान को नोटिस जारी किये गये, जो नोटिस अपीलान्टान द्वारा जानबूझकर लेने से इंकार कर दिया गया तथा तामील कुनन्दा ने उक्त नोटिस उसके मकान पर चस्पा किया गया तथा उक्त नोटिस पर गवाहन मानसिंह पुत्र रामहेत व जयराम पुत्र सहीया ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त अपीलान्टान द्वारा अपना जबाव भी पेश किया गया है जैसा कि स्वयं अपीलांटान द्वारा अपील के पैरा संख्या 2 में भी दर्ज किया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टान को सुनवाई का समुचित अवसर भी दिया गया है इस प्रकार जो निर्णय पारित किया गया है वह सही प्रकार से पारित किया गया है। अपीलान्टान द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है जबकि उन्हे उक्त निर्णय की बखूबी जानकारी थी। पैरा न0 04 जिस प्रकार वर्णित है गलत है, स्वीकार नहीं है। अपीलान्टान को उपरोक्तानुसार नोअिस जारी किया गया है जा जानबूझकर नहीं लिया गया है तथा अपीलान्टान द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार अपीलान्टान को उक्त निर्णय की जानकारी बखूबी वक्त निर्णय से है। प्रकरण की समस्त कार्यवाही की भी जानकारी रही है दिनांक 07.12.2015 की कहानी कतई गलत व मनगढंत रूप से दर्ज की गई है। मौजूदा अपील अपीलान्टान द्वारा जानबूझकर मियाद बाहर प्रस्तुत की है जो पोषनीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। पैरा न0 5 गलत है, स्वीकार नहीं है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के तैयशुदा सिद्धांतो के सर्वथा उल्लंघन में पारित नही किया गया है और ना ही निरस्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

किये जाने योग्य है, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतो के अनुसार पारित किया गया है। पैरा न0 7 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है, स्वीकार नही। सहायक कलक्टर महोदय द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा इकतरफा में पारित किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने तरीके से निर्णय पारित नहीं किया गया है और ना ही विधित त्रुटि है। ग्राम पंचायत ढाकपुरी द्वारा पारित निरस्त फरमाया जाना कतई न्याय संगत नहीं है। पैरा न0 8 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है, स्वीकार नही। धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्त के तहत प्रकरण की सुनवाई व उसका निस्तारण करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त है। पैरा न0 9 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है, स्वीकार नही। मिन रैस्पोडेंटान की आराजी खसरा न0 838, 389, 843, 844 में आने जाने के लिए एक मात्र लघुत्तम रास्ता खसरा न0 676, 677 में पूर्व से ही कदीमी जारी है तथा मिन अपीलान्टान उक्त रास्ता कायम कराने के लिए नियमानुसार कीमत भी अदा करने को तैयार है तथा जो रास्ता कायम किया गया है वह विधि के सुस्थापित सिद्धांतो के तहत जारी किया गया है। पैरा न0 10 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है, स्वीकार नही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही फर्जी व विधि विरूद्ध तरीके से नही की गई है तथा मौके पर्चा दिनांक 23.02.2015 गलत नही है। उक्त मौका पचौ पर गवाह लिखमी के हस्ताक्षर सही प्रकार से कराये गये हैं। लिखमी द्वारा जो तथाकथित हलफनामा दिया गया है वह फर्जी व नुमायशी है जो लालच में आकर दिया है तथा रामकिशोर द्वारा भी बयान दिये गये है। पैरा न0 11 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है, स्वीकार नही। मिन रेस्पोडैन्टान की आराजी में आने जाने के लिए एक मात्र लघुत्तम रास्ता खसरा न0 676, 677 के तरफ दक्षिण मे अरसे दराज से कायम है तथा इसके अलावा अन्य कोई रास्ता लघुत्तम व निकटतम नहीं है। इस प्रकार जो रास्ता उक्त आराजी में कायम किया गया है वह विधि के प्रावधानों के विपरीत जारी नही किया गया है। इस जिमन में समस्त तथ्य गलत व मनगढंत रूप से जारी किये गये हैं। मौजूदा अपील में ग्राम पंचायत को पक्षकार मुकदमा भी नही बनाया गया है। जिसके अभाव में अपील पोषनीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। अपीलान्टान स्वयं द्वारा मिन रेस्पोडेन्टान को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से अपील दायर की है जो काबिल खारिज है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान मियाद बाहर होने एंव आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं वकीलों के पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभय पक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। प्रकरण में विवादित रास्ते के लिए सक्षम स्तर पर सक्षम न्यायालय में पहले से ही प्रकरण 251 ए का विचाराधीन है। बहस में अंकित कराया गया कि राजस्व मण्डल अजमेर में 251 ए का प्रकरण विचाराधीन है।

समस्त तथ्यों एवं रिकॉर्ड का अध्ययन करने पर पहले यह पाया गया है कि परम्परागत रास्ते की कोई पगडन्डी नहीं है। अपीलान्ट अपनी सुविधा से रास्ता चाहता है जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नियमानुसार देय नहीं होता है। प्रकरण 251 सुखाचार में कवर नही होता है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत ढाकपुरी पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)